## पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक केल्याण विभाग राज्य सरकार/भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग जातियों के लिये

## नवीन आवेदन-पत्र

मध्य प्रदेश

यह आवेदन-पत्र संस्था प्रमुख को 30 सितम्बर तक अथवा कोर्स प्रारम्भ होने के 30 दिन के अन्दर जो भी बाद में हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।)

> आवेदक को पासपोर्ट साईज का फोटो जिस पर उसके हस्ताक्षर हो. चिपकाना चाहिये

#### भाग (अ) (प्रविष्टियां आवेदक द्वारा साफ-साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जायें )

1)	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	श्री/श्रीमती/कुमारी · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2)	पिछड़ा वर्ग जाति/उप जाति)	
(3)	धर्म	
(4)	मूल निवासी/स्थायी पता	जिला
		ूर श्रायी पता <sup></sup>
		•••••••••••
(5)	पिता/पति का नाम (पूरा नाम लिखे)	
(6)	पालक का नाम, पूरा पता तथा आवेदक से संबंध	नाम ····
		पता · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		संबंध (रिश्तेदारी)
(7)	पालक की वार्षिक आय	
(8)	बैंक खाता क्रमांक	
(9)	आधार कार्ड क्रमांक	

(10) विगत दो वर्षों की परीक्षाओं का ब्यौरा दें (अंक सूचियों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) शिक्षा सत्र में हुआ कोई व्यवधान रिमार्क के खाने में दर्शाया जाना चाहिये:-

परीक्षा का नाम	संस्था/विश्वविद्यालय या मंडल का नाम	जिस वर्ष मे परीक्षा दी	परीक्षा, उत्तीर्ण की अथवा नहीं यदि उत्तीण की तो श्रेणी और अंक जो प्राप्त हुये उनका प्रतिशत	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4	
	•			-

(11)	क्या पिछले वर्षों में कभी कोई छात्रवृत्ति मिली थी ?	हां/नहीं, यदि हां, तो सूचित कीजिये
	(अन्य किसी योजना के अन्तर्गत)	(1) छात्रवृत्ति
		योजना का नाम
٠,		(2) उस पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिये छात्रवृत्ति
•		मिली थी व वर्ष
		(3) उस संस्था का नाम जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति मिली थी
(12)	उस संस्था का नाम जहाँ इस वर्ष अध्ययन कर रहा है	•
	(1) वह पाठ्यक्रम जिसके लिए आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति चाही गई है।	
	(2) इस वर्ष किस कक्षा में अध्ययन कर रहे	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(3) कक्षा में प्रवेश की तिथी	
(13)	क्या आप संस्था के छात्रावास में या संस्था द्वारा	हां/नहीं, यदि हां, तो उसका नाम
	अनुमोदित मान्यता प्राप्त छात्रावास में रहते हैं ?	
•	, विवरण दें। (छात्रावास अधीक्षक का प्रमाण-पत्र	पता
	साथ लगायें।)	
		प्रवेश पाने की विधि

(14)	ं निम्ननांकित प्रणाण-पत्रों को साथ लगाये :-		
	़ (अ) जाति का प्रमाण-पत्र	,	••••••
	(प्रपत्र-1)		
	(ब)    आय संबंधी घोषणा		
	(प्रपत्र-2)		
	<ul><li>(स) अंक सूची की प्रमाणित प्रतिलिपियां</li></ul>		
(15)	क्या आपको किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति	7	हाँ/नहीं '''
	शिष्यवृत्ति प्राप्त हो रही है ? यदि हाँ, तो नाम व	ा राश <u>ि</u>	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(16)	क्या आप कोई पूर्णकालीन सेवा करते हैं ?		हाँ/नहीं
•			
(17)	यदि हाँ, तो विवरण		
			•
(18)	क्या आवेदक के परिवार में अन्य बच्चों को मै	ट्रिकोत्तर	हाँ/नहीं
	छात्रवृत्ति मिलती है ? यदि हाँ तो विवरण दें		
		•	
•••••		• • • • • • • • • •	वर्ष जब से छात्रवृत्ति मिली है।
द्वारा वि हमारे द्व करूँगा	ारा दिये गर्ये विवरण सहीं हैं। मैं/हम वचन तसका निर्णय अन्तिम होता है गलत पाया ग ारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की रकम या अ	देता हूँ/दे या तो उर ाधिक भुग	/हमने योजना के विनियम पढ़ लिये हैं तथा इस आवेदन-पत्र में मेरे/ ते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी सका निर्णय मेरे/हमारे लिये अन्तिम और बन्धनकारी होगा और मेरे ातान की कोई छात्रवृत्ति की रकम मुझसे/हमसे मांगी जाने पर वापिस वाला प्राधिकारी, यह रकम ऐसे किसी भी तरीके से, जो उचित समझे
		(1)	आवेदक राज्यस
		(2)	पिता/पालक के हस्ताक्षर अथवा निशानी दाहिना, बांया अगुँठा
•		(3)	पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में
•	S.	(4)	छात्र से सम्बन्ध (रिश्तेदारी)
•		(5)	पिता/पालक का धन्दा
स्थान .	••••••		
तारीख	Mr.		

भाग (ब) (उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाय जहाँ आवेदक अध्ययन कर रहा हो)

(1) प	<b>ाठ्यक्रम की अवधि जिसमें आ</b> वे	दक अध्ययन कर	रहा है	*********	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
(2) (क) क्या आवेदक को शिक्षण शुल्क भुगतान करने के लिये छूट दी गई है ?			रने	हाँ / नहीं			
(	ख) यदि हाँ, तो/यह बतायें कि छूट दी गई है या आधे शिक्ष	- · · ·	<b>ह</b> की	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2	मवेदक की चालू वर्ष में तारी	. •		मे जारीज		<del>3                                    </del>	
	ाको रूपये						
	गिक व्ययों को छोड़) का भुगतान				(छ।	त्रावास का माड़ा तथ	
जाय प्राप्त	ાપલ વ્યવા થા છાક્) થા મુપલાન	। पदस्या हामा । जा	ल्फ ज्यार गाय	ादय गय ह :=			
आवेदक ह	ारा देय वापिस न की जाने	दः	 र से	संस्था को अ	 गावेदक द्वारा	अभ्युक्ति	
	स्त अनिवार्य फीसों के ब्यौरे			प्रस्तुत दे		3	
	(1)	(	2)	(3	3)	(4)	
,		>	3->		3.2		
शिक्षण फी	स	रूपये	पैसे	रूपये	पैसे	•	
	स	* :	•				
•							
खल कूद	<del>तिस</del>					·	
पुस्तकालर	य फीस	·					
चिकित्सा	फीस						
		•	योग				
	• .		•				
	संस्था को आवेदक द्वारा देय वाप	ास न की जाने वा	ली अन्य किसी	अनिवार्य फीस व	<b>का यहाँ उल्लेख</b> वि	कया जाये।	
	क्या छात्र/छात्रा छात्रावास में र	हता है/रहती है	? क्या वह	*******	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
	मुफ्त भोजन आवास/मुफ्त आ	वास/मुफ्त भोज	न का हकदार	है ?		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
(1)	प्रमाणित किया जाता है:-						
	(1) आवेदक द्वारा भाग (अ) र	में दी गई जानका	री जाँची गई है	******	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	एवं वह सही है जानकारी ब अंकित है।	ती दुरूस्ती लाल -	स्याही से	•••••	•••••		
	(2) पाठ्यक्रम जिसमें आवेदव	त अध <mark>्ययन कर</mark> रह	त है वह		••••••		
	मैट्रिंकोत्तर पाठ्यक्रम है।						
	यह संस्था ''''	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ं विश्वविद्यात	नय/मण्डलं से सं	बद्ध है तथा भारत	। सरकार/राज्य शासन	
••••••	द्व	ारा मान्यता प्राप्त	है, आवेदक इर	स संस्था में · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	पाठ्यक्रम में पढ़	
रहा है जिस	में प्रवेश पाने के लिये न्यूनतम यो	ग्यता ''''	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	'''पास है।			

मैं वचन देता हूँ कि प्राधिकारी द्वारा जब भी आवेदक की छात्रवृत्ति की रकम मुझे सौंपी जायेगी वह जिस निस्चित उद्देश्य के लिये होगी उसका भुगतान उसी प्रकार किया जाकर पूर्ण लेखा-जोखा अधिकारी को नियमित रूप से भेजता रहूँगा। यदि आवेदक संस्था छोड़ दे या पढ़ाई चालू न रखे या कोई अन्य छात्रवृत्तियां/शिष्यवृत्ति स्वीकार कर ले तो यह तब तत्काल छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सूचित किया जायेगा और आवेदक को छात्रवृत्ति का भुगतान भी बन्द कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति फीस आदि से संबंधित संस्था के पास बची अवितरित अतिरिक्त राशि भी शासकीय लेखे में वापिस जमा कर दी जायेगी।

	*
क्रमांक	संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर
स्थान	नाम स्पष्ट अक्षरों में · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
तारीख	पदनाम
	पता
	संस्था की मुहर

#### प्रपत्र (2)

### आय संबंधी घोषणा-पत्र

(घोषणा-पत्र आवेदक के माता/पिता/पित/पालक द्वारा शपथ-पत्र के रूप में दिया जाये)

चूँकि मेरे पुत्र/पुत्री/आश्रित		शी/कुमार्र	ा/श्रीमती	
जो कि	····· का छात्र/छात्र ·	ा है, ने छात्रवृत्ति के	लिये आवेदन-पत्र	प्रस्तुत किया है।
में, श्री		··· आत्मज ·····	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	··· घोषणा करता हूँ
कि मेरी विगत वर्ष 31 मार्च, 20	तक की कुल आमदनी स	गब स्त्रोतों से रूपये	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है,	मैं इसकी पुष्टि करता हूँ वि	क मेरे द्वारा धारित संप	त्ति का ब्यौरा इसके	साथ संल्गन पत्र में
दिये अनुसार है और मैने अपने द्वारा भुग	ातान किये गये विभिन्न क	रों, उपकरों और भू-रा	जस्व की रकम का र	नहीं रूप से उल्लेख
किया है। प्रस्तुत किये गये तथ्यों मैं यह भी वचन देता हूँ कि इस				दायी मानता हूँ।
छात्रवृत्ति की संपूर्ण रकम शासन को ए	क मुश्त लौटा दूँगा तथा घं	ोषणा की असत्यता सं	बंधी शासन का निर्ण	व मेरे लिये अंतिम
और बंधनकारी होगा।	•			
		•		
स्थान	हस्त	गक्षर पिता/पति/पालव	<del>ភ</del>	•••••
दिनांक			•	
and the second s				

[ पिता/माता/पति (विवाहित छात्राओं के लिये) के जीवित न होने पर ही पालक द्वारा घोषणा-पत्र भरा जावेगा ]

# अनुसूची

(1)	धारित भूमि की सीमा	(1)	क्षेत्रफल
	•	(2)	ग्राम
	•	(3)	भू-मापन क्रमांक (सर्वे नम्बर)
		(4)	भू-राजस्व निर्धारण
(2)	धारित संपत्ति (मकान, दुकान, भवन,	(1)	मकान क्रमांक
	मकान के लिये स्थल आदि)	(2)	नाम
	•	(3)	ग्राम/नगर/शहर
		(4)	स्थल का क्षेत्रफल
		(5)	प्राप्त होने वाला भाड़ा यदि कोई हो
		(6)	भुगतान किया गया गृह भाड़ा
		(7)	दुकान का पता
		(8)	धंधा (दुकान का)
		(9)	बिक्री कर/आयकर जो भुगतान किया गया
		(10)	लायसेंस क्रमांक
(3)	लिया गया वेतन (यदि माता, पिता	(1)	नियोजक का नाम
•	ानों सेवा में हैं तो पृथक-पृथक	(2)	वह कार्यालय ईकाई जिसमें वह कार्य कर रहा हो
	जानकारी दी जाये)		
		(3)	पता
	•		
		(4)	मासिक उपलब्धियां, वेतन, मंहगाई-भृता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, सिटी अलाउन्स अन्य अलाउन्स मिलाकर
	•	(5)	अन्य सुविधायें जैसे मकान भत्ता, निःशुल्क मकान तथा अन्य
			सुविधायें
(4)	अन्य	(1)	अन्य धंधों, साधनों से होने वाली आमदनी/अंशकालीन कार्यो
			से आमदनी
		(2)	मजदूरी के रूप में ली गई रकम
	•	(3)	कोई अन्य आय
स्थान	Г		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
दिनां	क	•	हस्ताक्षर पिता/पति/पालक

#### आय की घोषणा के सत्यापन के लिये सुझाई गई कार्य प्रणाली

अधिकांशतः आय की घोषणा का सत्यापन कार्यालयीन अभिलेखों को देखकर किया जायेगा, उदाहरणार्थ, शासकीय

कर्मचारियों या शासकीय सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मामले में कार्य का सत्यापन नियोजकों से आय पूछकर किया जा सकता है। कृषकों के मामले में आय राजस्व अधिकारी से जानी जा सकती है, आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के मामल में आय, आयकर, प्राधिकारियों के जरिये जानी जा सकती है, दुकानदारों के मामलों में सत्यापन विक्रय कर आंकड़ों को देखकर किया जा सकता है। विक्रय कर आंकड़ों से दुकानदारों को होने वाले लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है जिसके अनुसार खाद्यान्न के फुटकर विक्रेताओं को 10 से 15 प्रतिशत और थोक विक्रेताओं को 15 से 20 प्रतिशत लाभ सामान्य माना जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनके अपने मकान है, उनका वार्षिक भाड़ा मूल्य गृह कर द्वारा सरलता से जाना जा सकता है जो कि या दोनों के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के मामलों में आय का मोटा अनुमान, स्वामी/काश्तकार या दोनों के रूप में उनके द्वारा

धारित भूमि के आकार तता भूमि की सीमा से और/या भू-राजस्व अभिलेखों की सहायता से लगाया जा सकता है।